बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांकः–प्र0–06–विविध–30/2016 - 1860 /खाद्य,पटना/दिनांकः– 13·04·17

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न के ससमय उठाव एवं वितरण के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को नियमित रूप से उसी माह में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना बाध्यता है । पूर्व में दिनांक 05.12.2016 को आयोजित विडियो कॉफ्रेंसिंग में जिला अन्तर्गत बैकलॉग की स्थिति अविलंब समाप्त करने एवं जिस माह के आवंटन के विरूद्ध खाद्यान्न का उठाव किया जाय उसी माह में वितरण भी सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया था । लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था की समीक्षा के क्रम में यह परिलक्षित हो रहा है कि जिलों में फूड कैलेन्डर के अनुसार खाद्यान्न का ससमय उठाव एवं वितरण नहीं कराया जा रहा है और न ही भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चक्रीय व्यवस्था के तहत खाद्यान्न का उठाव कराया जा रहा है, जिससे गोदामों में अनावश्यक रूप से खाद्यान्न भंडारित रहता है। खाद्यान्नों के ससमय उठाव एवं वितरण नहीं किये जाने के कारण गोदामों में अनावश्यक रूप से खाद्यान्न भरा होने के कारण ससमय खाद्यान्न का उठाव नहीं हो पाता है जिसके कारण खाद्यान्न व्ययगत होने की संभावना बनी रहती है। जिलों द्वारा लक्षित जन वितरण प्रणाली का गहन अनुश्रवण नहीं किये जाने के कारण जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा निर्धारित तिथि तक खाद्यान्न का मूल्य जमा नहीं किये जाने के कारण भंडारण निर्गमादेश (SIO) निर्गत करने में विलंब होने के कारण भी खाद्यान्नों का ससमय उठाव नहीं हो पाता है ।

उदाहरण के तौर पर मार्च 2017 तक खाद्यान्नों के उठाव एवं वितरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न के उठाव में सुधार तो हुआ है, लेकिन खाद्यान्न का जन वितरण प्रणाली डीलर तक पहुँचाना एवं वितरण संतोषजनक नहीं है । कई जिलों में फरवरी माह का वितरण बहुत ही कम है, यथा दरभंगा जिले में शुन्य प्रतिशत, गया में 21 प्रतिशत, वैशाली में 59 प्रतिशत तथा रोहतास में 52 प्रतिशत एवं माह मार्च 2017 में भी वितरण की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है (छायाप्रति संलग्न)।

इसका मुख्य कारण यह भी है कि समय पर जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के द्वारा खाद्यान्न का मूल्य जमा नहीं कराया जाता है । प्रतिवेदन के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि दरभंगा जिले में 254, बेतिया में 147, वैशाली में 89, रोहतास में 51 डीलरों के द्वारा फरवरी माह का खाद्यान्न का मूल्य जमा नहीं किया गया है । माह मार्च–2017 में बेतिया–1160, वैशाली–459, रोहतास–259, मोतिहारी–220, सीतामढ़ी–196 तथा गया–149 डीलरों के द्वारा खाद्यान्न का मूल्य निगम के खाते में जमा नहीं किया गया है । अप्रैल माह के राशि को मार्च माह में ही जमा कराना वांछनीय है, ताकि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में खाद्यान्न जन वितरण प्रणाली को भेजा जा सके । लेकिन कई जिलों में यह राशि जमा नहीं

कराया गया है या राशि जमा नहीं होने के कारण इन जिलों में खाद्यान्न डोर स्टेप डिलेवरी के माध्यम से भेजना संभव नहीं होगा तथा गोदाम भरा रहने के कारण भारतीय खाद्य निगम से अप्रैल माह के मध्य एवं मई माह के खाद्यान्न के उठाव पर असर पड़ेगा ।

अतः इसपर जिला पदाधिकारियों को अपने स्तर से शीघ्र समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि अप्रैल माह के अंत तक खाद्यान्न वितरण अद्यतन हो सके । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा मासिक रूप से आवंटित खाद्यान्न के ससमय उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने हेतु निम्नवत् निदेश दिया जाता है:–

1. फूड कैलेन्डर (विभागीय आदेश सं0–1711 दिनांक 03.04.2017 छायाप्रति संलग्न) अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाय । प्रत्येक माह के 20वीं तारीख तक अगले माह के खाद्यान्न उपावंटन के विरूद्ध मूल्य जमा किया जाय, प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में अगले माह के लिए भंडार निर्गमादेश (SIO) जारी किया जाय।

2. विमुक्ति आदेश (RO) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक अगले माह के लिये क्रय किया जाएगा, प्रत्येक माह के अंतिम तिथि तक अगले माह का खाद्यान्न का उठाव किया जाय, राज्य खाद्य निगम द्वारा उचित मूल्य के दुकान तक पहली तारीख से 20वीं तारीख तक डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

3. उचित मूल्य के दुकान के विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण पहली तारीख से 25वीं0 तारीख तक किया जाय एवं प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में खाद्यान्न उत्सव मनाया जाय जिसमें छूटे हुए उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाय।

4. राज्य में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा माह मार्च एवं अप्रैल, 2017 के खाद्यान्न का वितरण अप्रैल, 2017 में ही कराना सुनिश्चित किया जाय एवं इसका व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ निगरानी एवं अनुश्रवण समिति से भी अनुश्रवण कराया जाय ।

5. सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को प्रत्येक माह के 20वीं तारीख तक अगले माह के खाद्यान्न उपावंटन के विरूद्ध मूल्य राज्य खाद्य निगम के बैंक खाता में जमा कराना सुनिश्चित करने एवं प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में राज्य खाद्य निगम द्वारा उपावंटित खाद्यान्न के विरूद्ध जमा राशि के अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हेतु भंडारण निर्गमादेश (SIO) निर्गत करने हेतु निदेशित करें ।

6. विभागीय पत्रांक 1222 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा सभी रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु दिशा–निदेश निर्गत किया गया है । तद्आलोक में आवेदकों से नये सिरे से आवेदन प्राप्त कर रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों का रोस्टर तैयार करते हुए अविलंब रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

अतः निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त कंडिकाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, अनुपालन नहीं होने की स्थिति में दोषी पदाधिकारियो/कर्मचारियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन ,

अनु0–यथोक्त।

मुख्य सचिव, बिहार ।

ज्ञापांकः–प्र0–06–विविध–30/2016 – 1860 /खाद्य,पटना/दिनांकः– 13.04.17

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य सचिव, बिहार ।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र सं0- 1-2/2007-BP.III दिनांक 10.10.2014 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक माह में खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के लिए निम्नवत् फूड कैलेन्डर अगले आदेश तक के लिए जारी किया जाता है :–

पणन पदाधिकारी /प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार खाद्यान्न का उपावंटन किया जाना	अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा खाद्यान्न का उपावंटन किया जाना/ अनुमोदित किया जाना	अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपावंटित / अनुमोदित खाद्यान्न उपावंटन के अनुसार पणन पदाधिकारी/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार ऑनलाईन Approved किया जाना	पणन पदाधिकारी /प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ऑन लाईन Approved किये गये उपावंटन के अनुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा ऑन लाईन चालान निकाल कर राज्य खाद्य निगम के बैंक खाता में खाद्यान्न का मूल्य जमा किया जाना	राज्य खाद्य निगम द्वारा उपावंटित खाद्यान्न के विरुद्ध जमा राशि के अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हेतु भंडार निर्गमादेश (S.I.O) निर्गत करना	राज्य खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का विमुक्ति आदेश (R.O) प्राप्त करना	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का उठाव करना	राज्य खाद्य निगम द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान पर भंडारण निर्गमादेश (S.I.O) के अनुसार खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलेवरी करना	जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण करना	खाद्यान्न उत्सव मनाया जाना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रत्येक माह के 5वीं तारीख तक अगले माह का खाद्यान्न का उपावंटन किया जाएगा।	प्रत्येक माह के 7वीं तारीख तक अगले माह का खाद्यान्न का उपावंटन / अनुमोदित किया जाएगा।	प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक अगले माह का खाद्यान्न उपावंटन को ऑन लाईन Approved किया जाएगा ।	प्रत्येक माह के 20वीं तारीख तक अगले माह के खाद्यान्न उपावंटन के विरुद्ध मूल्य जमा किया जाएगा।	प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में अगले माह के लिए भंडार निर्गमादेश जारी किया जाएगा ।	विमुक्ति आदेश (R.O) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक अगले माह के लिए क्रय किया जाएगा।	प्रत्येक माह के अंतिम तिथि तक अगले माह का खाद्यान्न का उठाव किया जाएगा।	राज्य खाद्य निगम उचित मूल्य के दुकान तक खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलेवरी वर्तमान माह के 1ली तारीख से 20वीं तारीख तक किया जाएगा ।	उचित मूल्य के दुकान के विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण 1ली तारीख से 25वीं तारीख तक किया जाएगा।	प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में खाद्यान्न उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें छूटे हुए उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

2. खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण के विभिन्न चरण में विभिन्न पदाधिकारियों / जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा अनुपालन का दायित्व निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:–

क्र0	कार्यक्रम	अनुपालन का दायित्व
	पणन पदाधिकारी /प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार खाद्यान्न का उपावंटन किया जाना।	अनुमंडल पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ।
	अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा खाद्यान्न का उपावंटन किया जाना /अनुमोदित किया जाना।	अनुमंडल पदाधिकारी ।
	अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उपावंटित /अनुमोदित खाद्यान्न उपावंटन के अनुसार पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार ऑनलाईन उपावंटन को Approved किया जाना ।	अनुमंडल पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ।
	पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ऑन लाईन Approved किये गये उपावंटन के अनुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा ऑन लाईन चालान निकाल कर राज्य खाद्य निगम के बैंक खाता में खाद्यान्न का मूल्य जमा किया जाना ।	अनुमंडल पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/जन वितरण प्रणाली विक्रेता ।

	खाद्य निगम द्वारा उपावंटित खाद्यान्न के विरुद्ध जमा राशि अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति हेतु भंडार निर्गमादेश (S.I.O) निर्गत करना ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम ।
	राज्य खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का विमुक्ति आदेश (R.O) क्रय करना ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम।
7.	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न उठाव करना ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम /सहायक गोदाम प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम/ नामित परिवहन अभिकर्त्ता ।
8	राज्य खाद्य निगम द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं दुकान पर भंडार निर्गमादेश (S.I.O) के अनुसार खाद्यान्न का डोर स्टेप डिलेवरी करना ।	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम /सहायक गोदाम प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम/नामित परिवहन अभिकर्त्ता ।
9	जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण करना ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक/जन वितरण प्रणाली विक्रेता ।
10	खाद्यान्न उत्सव मनाया जाना ।	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक/जन वितरण प्रणाली विक्रेता ।

3. निर्धारित समय–सीमा के अन्दर भंडार निर्गमादेश निर्गत कर डोर स्टेप डिलेवरी योजना का कार्यान्वयन का दायित्व पूर्ण रूप से जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम का होगा ।

4. वर्तमान माह के अंतिम सप्ताह में सभी जिलों द्वारा खाद्यान्न दिवस का आयोजन कर शेष लाभुकों अथवा वैसे लाभुकों को जिन्हें किसी कारणवश खाद्यान्न नहीं मिला हो, को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा ।

उक्त फूड कैलेन्डर के अनुसार खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण सभी सम्बद्ध पदाधिकारी एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता ससमय सुनिश्चित करेंगे ।

(भरत कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक –प्र0– 06–विविध–03/2010 1711 /खाद्य,पटना/दिनांक 05·04·17

प्रतिलिपि – सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, पटना/ विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक –प्र0– 06–विविध–03/2010 1711 /खाद्य,पटना/दिनांक 05·04·17

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के आप्त सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।